न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद में डिकी ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सी.एल.शर्मा, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः–212 / 2015 राजस्व वाद
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
श्रीमति भंवरी पत्नि हीरालाल तेली, उम्र बालिग निवासी केरिया तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) ———वादिया

बनाम

1–श्री नारायण लाल पिता गौरी शंकर दरोगा (गहलोत), उम्र बालिग निवासी केरिया तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
2–राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा (राजस्थान)
3–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
4–उप पंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
———प्रतिवादीगण

———

वादिया की ओर से श्री मुरलीधर जोशी, एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री राजेश तिवाड़ी, एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 20.9.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिकी की जाती है कि – और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि – को दी जायें।

वादिया का वाद पत्र आपसी राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर डिकी बहक वादिया विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम केरिया पटवार हल्का केरिया तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 3419 / 2429 रकबा 4 बीघा भूमि को मौके पर विधमान बिलानाम आराजी संख्या 2429 में वादिया के कब्जे अनुसार तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। उसी अनुसार वादिया के कब्जे अनुसार तरमीम की जावें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे।

(सी.एल.शर्मा)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 20.9.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल